

1 : विविध प्रकरण संख्या 07/2025 बअनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम विष्णुपताप सिंह वगैरा

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 07/2025

GCMS No. : 2025/84

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|------|---|
| आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली | | 1. विष्णु प्रतापसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी सोमनाथ कॉलोनी पाली मैसर्स पार्श्वनाथ आईसक्रीम अम्बेडकर सर्किल के पास पाली (रेस्टोरेण्ट मैनेजर) 2. नवीन्द्र कोठारी पुत्र श्री ज्वरेरीलाल कोठारी जाति जैन निवासी विडी नगर इन्द्रा कॉलोनी मैसर्स पार्श्वनाथ आईसक्रीम अम्बेडकर सर्किल के पास पाली (रेस्टोरेण्ट मालिक) |

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51”

—: निर्णय :-

उपस्थित :

1. अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 12/8/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थीगण वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित होने से अप्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।


प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 04.07.2024 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स पार्श्वनाथ आईसक्रीम अम्बेडकर सर्किल के पास पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

विष्णु प्रताप सिंह एवं स्वयं फर्म का मैनेजर होना बताया। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की दुकान में रखे फ्रिज के अन्दर 08-10 किलो डेजर्ट फ्रोजर्न रखा हुआ था, जो अप्रार्थी द्वारा आमजन को बेचने के लिए रखा गया हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने डेजर्ट फ्रोजर्न का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैंने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में मेरे साथ आये भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया कि डेजर्ट फ्रोजर्न का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 01 किलो डेजर्ट फ्रोजर्न वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 120/- रुपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा डेजर्ट फ्रोजर्न को चार बराबर भागो में बांटकर नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-2383 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमूनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाबो में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म-6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई। नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमूने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना संख्या आर-2383 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1009/एक्ट/2024/1055 दिनांक 18.07.2024 के अनुसार Sub-Standards पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डांक भिजवाकर सूचित किया कि वह उक्त नमूने की जाचं पुनः करवाना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। उक्त अवधि पूर्ण होने से प्रकरण श्रीमान के समक्ष पेश करने हेतु सम्बधित पत्रावली तैयार कर अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के समक्ष प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली द्वारा अवलोकन करने पर अप्रार्थी संख्या 01 रेस्टोरेण्ट मेनेजर एवं अप्रार्थी संख्या 02 रेस्टोरेण्ट मालिक नवीन्द्र कोठारी पुत्र ज्वरेरीलाल कोठारी जाति जौन निवासी विडी नगर इन्द्रा कॉलोनी पाली द्वारा Sub-




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

standards डेजर्ट फ़ोज़र्न का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण ने वक्त बहस दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा रेस्टोरेण्ट का संचालन खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के रेस्टोरेण्ट से डेजर्ट फ़ोज़र्न का नमूना लिया गया जिसका उपयोग अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही किया जाता है। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप डेजर्ट फ़ोज़र्न का फैट 2.5 से 10.00 के लगभग रहना चाहिए एवं अप्रार्थी के रेस्टोरेण्ट से लिया गया डेजर्ट फ़ोज़र्न के संबंध में खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार 8.96 प्रतिशत फैट है, जो के प्रावधानों के अनुरूप है। अप्रार्थीगण के रेस्टोरेण्ट में निर्मित उत्पादों के लेबलिंग पर भी न्यूट्रिसिन विवरण में फेट का अंकन किया जाता है। अप्रार्थीगण फर्म द्वारा अपने रेस्टोरेण्ट में डेयरी टेकनिशियन नियुक्त कर रखा है जिसकी देखरेख में खाद्य पदार्थों का उत्पादन, लेबलिंग एवं पैकेजिंग की जाती है तथा आमजन को विक्रय किया जाता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण के प्रति नम्ररूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.07.2024 को अप्रार्थीगण की फर्म मैसर्स पार्श्वनाथ आईसक्रीम अम्बेडकर सर्किल के पास पाली से डेजर्ट फ़ोज़र्न का नमूना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-2383 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमूने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमूने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये डेजर्ट फ़ोज़र्न का नमूना कोड संख्या आर-2383 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया डेजर्ट फ़ोज़र्न का नमूना Sub-standard (अवमानक) पाया गया जिसकी प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थी को भिजवायी गयी जिसे एक माह से ज्यादा समय व्यतित हो जाने पर भी अप्रार्थी द्वारा उनकी फर्म से लिया गया डेजर्ट फ़ोज़र्न के नमूने की पुनः जांच करवाने हेतु कोई आवेदन/अपील पेश नहीं कि जिस पर प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से डेजर्ट फ़ोज़र्न का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानकों को



आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

अपनाते हुए सैम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के कानून की अवहेलना नहीं पायी गयी।

दौराने बहस अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से मध्यम फेट डेजर्ट फ्रोजर्न का नमुना लिया गया, जिसका मानक 2.5 प्रतिशत से अधिक और 10.0 प्रतिशत से कम होना चाहिए तथा खाद्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार लिये गये नमूने का फेट 8.96 प्रतिशत आ रहा है, जो कि निर्धारित मानक नियमों के दायरे में आता है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी ने वक्त बहस अपनी फर्म में आईसक्रीम का उत्पादन करते समय उपयोग किये जाने लेबलिंग व पैकेजिंग के पैकेट के नमूने पेश कर कथन किया कि उनके द्वारा मिडियम फेट से खाद्य पदार्थ निर्मित किये जाते हैं। उक्त कथन के सम्बन्ध में पत्रावली के संलग्न मौका फर्द एवं फार्म नम्बर 5 ए का अवलोकन करने पर यह पाते हैं कि डेजर्ट फ्रोजर्न का नमुना लेते समय अप्रार्थी ने यह कही भी अवगत नहीं करवाया कि वह मध्यम श्रेणी फेट वाली डेजर्ट फ्रोजर्न का उपयोग करता है और न ही दौराने बहस उनके द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज पेश किये गये जिससे यह जाहिर हो सके कि वक्त नमुना अप्रार्थीगण मध्यम श्रेणी फेट वाली डेजर्ट फ्रोजर्न का उपयोग करते हो। साथ ही जब अप्रार्थीगण से पूछा गया कि लेबलिंग एवं पैकेजिंग के पैकेट डेजर्ट फ्रोजर्न का नमूना लेने से पहले उपयोग आ रहे थे अथवा नमूने के बाद में उपयोग में लिये गये, तब अप्रार्थीगण ने कथन किया कि नमूना लिये जाने के पश्चात् अपनी गलतियों में सुधार करते हुये खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुरूप पैकेट उपयोग किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण का यह कथन मान्य नहीं है कि उनके द्वारा फर्म में मध्यम श्रेणी फेट वाली डेजर्ट फ्रोजर्न का उपयोग किया जा रहा था।

साथ ही अप्रार्थीगण का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि फर्म में खाद्य पदार्थों का उत्पादन डेयरी टेक्नीशियन की देखरेख में किया जाता है। इस बाबत् डेयरी टेक्नीशियन की योग्यता के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और अप्रार्थीगण ने स्पष्टीकरण दिया गया कि जरूरत के अनुसार टेक्नीशियन को बुलाया जाता है, साथ ही खाद्य पदार्थों के निर्माण हेतु किसी भी केमिस्ट का फर्म में उपलब्ध नहीं होना, अप्रार्थीगण स्वयं ने स्वीकार किया है अर्थात् फर्म में स्थायी रूप से न तो डेयरी टेक्नीशियन है और न ही कोई केमिस्ट नियुक्त है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) डेजर्ट फ्रोजर्न का उपयोग आमजन को बेचने के लिए किया जा रहा था, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य है।




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाटी (राज.)

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक स्तर (Sub-standards) डेजर्ट फ़ोर्जर्न का उपयोग करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पर संयुक्त रूप से 25,000/- अक्षरे पच्चीस हजार रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/8/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)